(वाद सं0–309/4/13/2020)

16.03.2022

परिवादी, सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत लेखा लिपिक–सह–प्रभारी प्रधान लिपिक, घोसी प्रखण्ड, जिला जहानाबाद के 18 माह के बकाया वेतन का सूद सहित भुगतान कराने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना से संबंधित है तथा उनकी ओर से परिवादी के परिवाद पत्र पर प्रतिवेदन हेतु निदेशक, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना को आग्रह किया गया है, किन्तु वांछित प्रतिवेदन राज्य आयोग को अप्राप्त है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि उसका नियोजन, अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना में लिपिक के पद पर दिनांक–13.09.1985 को हुयी थी, जो योजना (गैर योजना) दिनांक–04.05.2005 को समाप्त हो गयी। अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना के अन्तर्गत कार्यरत रहने के दौरान उसे नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता रहा। योजना की समाप्ति के 18 माह के अवधि के पश्चात् सरकार द्वारा दिनांक–13.10.2006 को उसे लिपिक के पद पर प्रखण्ड कार्यालय, घोसी में समायोजित कर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के पश्चात् सेवानिवृति तक उसे नियमित रूप से वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। परिवादी का कथन है कि दिनांक–04.05.2005 से दिनांक–13.10.2006 तक की अवधि का उसे वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादी यह स्वीकार करते है कि इस अवधि में वह सरकारी सेवा में कहीं भी नियोजित नहीं थे। परिवादी की ओर से इसी अवधि के बकाया वेतन के भुगतान हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

परिवादी को कार्यरत अवधि के वेतन का सरकार द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जा चुका है। यह सरकार का क्षेत्राधिकार है कि मानवीय दृष्टिकोण से सेवा में नहीं रहने के अवधि का वह संबंधित कर्मियों को वेतन का भुगतान करना चाहती हैं अथवा नहीं ? यह संबंधित कर्मी (परिवादी) के मानवाधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अब, जबकि परिवादी का दावा मानवाधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक